



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08092020-221600
CG-DL-E-08092020-221600

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2692]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 7, 2020/भाद्र 16, 1942

No. 2692]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 7, 2020/BHADRA 16, 1942

jy e=ky ;

%jyo ckM%

vf/k lpuk

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 2020

dk-vk- 3024%v%.—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर देहात, औरैया व इटावा जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात्, ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा;

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात् अपर जिला मजिस्ट्रेट (भूमि अर्जन) कानपुर नगर, को लिखित में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित किए जाएंगे तथा सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जाँच, यदि कोई हो तो, करने के पश्चात्, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, आक्षेपों को या तो अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अन्तिम होगा;

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन और भूमि के अन्य ब्यौरे उपलब्ध हैं और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा उनका निरीक्षण सक्षम प्राधिकारी के उपरोक्त कार्यालय में किया जा सकता है।

vulph

उत्तर प्रदेश राज्य में विशेष रेल परियोजना अर्थात्, ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए कानपुर देहात, औरैया व इटावा जिले के अन्दर संरचना सहित या उसके बिना अर्जित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।

ft y dk uke % dku ij ngkr				
क्रम संख्या	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	सर्वेक्षण संख्या	क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(1)	(मैथा)	(मड़ौली)	1493	0.0108
			1495	0.0610
			1498	0.1000
ft y dk uke % vkj ;k				
क्रम संख्या	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	सर्वेक्षण संख्या	क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(1)	(बिधूना)	(घसारा)	1354	0.0114
			1321	0.1289
			1352	0.1415
			1077	0.0628
			1353	0.0176
			1220	0.0346
			1145	0.1067
			1166	0.0170
ft y dk uke % bVkok				
क्रम संख्या	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	सर्वेक्षण संख्या	क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(1)	(भरथना)	(पौलीकला)	1882	0.0350
(2)	(जसवन्त नगर)	(अधियापुर)	495क	0.0540

[फा. सं. 2020/एलएमएल-II/12/2/ईसी/2048]

ए. के. सिन्हा, कार्यकारी निदेशक (भूमि एवं सुविधाएं)

MINISTRY OF RAILWAYS**(Railway Board)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th September, 2020

S.O. 3024(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose the land the brief description of which is given in the schedule annexed hereto is required for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the districts of Kanpur Dehat, Auraiya and Etawah in the State of Uttar Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the official Gazette raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act;

Every such objection shall be made to the competent authority namely, Additional District Magistrate (Land Acquisition), Kanpur Nagar in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or through a legal practitioner and may after hearing all such objections and after making such further enquiry if any as the competent authority thinks necessary by order either allow or disallow the objections;

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 20D of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in districts Kanpur Dehat, Auraiya and Etawah in the State of Uttar Pradesh.

District: Kanpur Dehat				
Serial Number	Name of the Tehsil	Name of the Village	Survey Number	Area in hectares/ Square metres
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(1)	(Maitha)	(Madauli)	1493	0.0108
			1495	0.0610
			1498	0.1000
District: Auraiya				
Serial Number	Name of the Tehsil	Name of the Village	Survey Number	Area in hectares/ Square metres
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(1)	(Bidhuna)	(Ghasara)	1354	0.0114
			1321	0.1289
			1352	0.1415
			1077	0.0628
			1353	0.0176
			1220	0.0346
			1145	0.1067
			1166	0.0170
District: Etawah				
Serial Number	Name of the Tehsil	Name of the Village	Survey Number	Area in hectares/ Square metres
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(1)	(Bharthana)	(Palikala)	1882	0.0350
(2)	(Jaswant Nagar)	(Adhiyapur)	495क	0.0540

[F. No. 2020/LML-II/12/2/EC/2048]

A. K. SINHA, Executive Director (Land & Amenities)